कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात के कम्प्यूटर सिस्टम के यू०पी०एस०(12 वोल्ट 26 ए०एच०) की 136 बैटरी जिसकी कम से कम दो वर्ष की आनसाइट वारण्टी(Onsite Warranty) हो, के क्रय हेतु तथा पुरानी बैटरी (12 वोल्ट 26 ए०एच०) को वापस खरीदने तथा बिना वापस खरीदे अलग-अलग प्रकार से सीलबन्द निविदायें दिनांक 16.01.2016 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें उसी दिन समय 4.00 बजे क्रय समिति के समक्ष मीटिंग हाल, जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात में खोली जायेगी। निविदा हेतु धरोहर धनराशि 5,000/-(पाँच हजार) रूपये नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात के नाम देय हो, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर-देहात में जमा करना होगा, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे।

बैटरियों का विवरण व निविदा के नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय कानपुर-देहात की आफिसियल वेबसाइट ecourts.gov.in/kanpurdehat पर उपलब्ध है। निविदा के नियम व शर्ते उपरोक्त वेबसाइट, केन्द्रीय नजारत के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

(रजत सिन्हा)	(गुलाब सिंह)	(नवीन श्रीवास्तव)
सदस्य, क्रय समिति/	सदस्य, क्रय समिति/	अध्यक्ष, क्रय समिति/
अपर जिला जज,	अपर जिला जज,	अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-9,	कोर्ट संख्या-2,	कोर्ट संख्या-1,
कानपुर-देहात।	कानपुर-देहात।	कानपुर-देहात।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचना पट पर चस्पा करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1- नोडल अधिकारी, कानपुर-देहात को माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट तथा जनपद न्यायालय कानपुर-देहात की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

2- जिला सूचना अधिकारी, कानपुर-देहात को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु

3- स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु

4- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात, कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर-देहात एवं कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर-देहात के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

यू०पी०एस० बैटरी के निविदा आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्ते

1. निविदा स्वीकृत किये जाने की दशा में बैटरी आपूर्तिकर्ता को नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर-देहात में बैटरियों को स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पहुँचाकर उन्हें यथास्थान स्थापित करना होगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली बैटरियों की न्यूनतम दो वर्ष आनसाइट वारण्टी(Onsite Warranty) होना अनिवार्य है।
3. निविदाकर्ता को निविदा के साथ बैटरी का मूल्य, उसका माडल एवं ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
4. जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात को यह अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दे।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय कानपुर-देहात होगा।

(रजत सिन्हा)
सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-9,
कानपुर-देहात।

(गुलाब सिंह)
सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-2,
कानपुर-देहात।

(नवीन श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-1,
कानपुर-देहात।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

यू०पी०एस के लिए 12 बोल्ट, 26 ए०एच० की बैटरी (प्रतिष्ठित कम्पनी की) हेतु

आवेदन पत्र/टेण्डर फार्म

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो चस्पा करें

निविदा वास्ते	:	बैटरी क्रय किये जाने तथा पुरानी बैटरियों के बिक्री(प्रतिष्ठित कम्पनी की)
अग्रिम जमा धरोहर धनराशि	:	5,000/-रूपये
निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैटरी की कीमत	:	....
व कम्पनी का नाम	:	....
बैटरी की वारण्टी की अवधि तथा प्रकार	:	....
		....
निविदाकर्ता का पूरा नाम (निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति सहित)	:	....
पत्र व्यवहार का पता	:	....
		....
		....
बैंक खाता विवरण	:	....
		....
		....
मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर	:	....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर